संख्या-333/2017/2408/22-2-2016-17(465)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 अप्रैल, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पतई उर्फ कृष्णकुमार पाण्डेय पुत्र श्री बंशी पाण्डेय निवासी जनपद-कानपुर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक 28.10.2016, दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पतई उर्फ कृष्णकुमार पाण्डेय पुत्र श्री बंशी पाण्डेय, निवासी-तिलसहरी बुजुर्ग, थाना-महराजपुर, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 29.07.1977 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमन्चा से 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-71/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 12.03.1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च नयायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08.11.2006 द्वारा उक्त दण्ड को बहाल रखा गया। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में दाखिल नहीं हुआ तथा 02 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 07.04.2016 तक 09 वर्ष 00 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष 01 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध एक जघन्य अपराध है तथा एक व्यक्ति विशेष की श्रेणी में सीमित नहीं होने, भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जा सकने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को निरूद्ध नहीं रखा गया तो अवश्य ही कोई घटना घटित हो सकने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूव रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 14.09.2016 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी पतई उर्फ कृष्णकुमार पाण्डेय (बन्दी संख्या-23260) पुत्र श्री बंशी पाण्डेय, निवासी-जनपद-कानपुर नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-333/2017/2408(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।